



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1943 (श0)
(सं0 पटना 829) पटना, वृहस्पतिवार, 30 सितम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2021

अधिसूचना संख्या 10/2021-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 140, दिनांक 30 सितम्बर 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 04/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 547, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3क	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा:- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिता); ख. अन्य मिट का: स्पीयर मिट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिट-तेल (एक्स	कोई अपंजीकृत व्यक्ति	कोई पंजीकृत व्यक्ति।”;
-----	--	--	----------------------------	---------------------------

		मेंथा एक्वेटिक), हॉर्समिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट)।		
--	--	---	--	--

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 2017/21-(खंड-13)10)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 सितम्बर 2021

एस० ओ०. 140, दिनांक 30 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)10)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2021

Notification No. 10 /2021- State Tax (Rate)

S.O. 140, dated 30th September 2021— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 04/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 547, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:

" 3A.	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540	Following essential oils other than those of citrus fruit namely: - a. Of peppermint (Menthapiperita); b. Of other mints : Spearmint oil (ex-menthaspicata), Water mint-oil (ex-mentha aquatic), Horsemint oil	Any Unregistered Person	Any Registered Person.";
-------	--	--	-------------------------------	--------------------------------

		(ex-menthasylvestries), Bergament oil (ex-mentha citrate).		
--	--	---	--	--

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 10)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 829-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>